<u>कैम्प कार्यालय जिलाधिकारी फर्रूखाबाद।</u>

संख्या 8803 /आ0ले0–जि0अ0–2014 दिनांक 12 जून 2014

समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार
<u>जनपद फर्रूखाबाद।</u>

मेरे समक्ष प्राप्त होने वाली शिकायतों में अधिकांश मामले भूमि विवाद से सम्बन्धित पाये गये हैं, जिनमें भूमि का सीमांकन, अवैध कब्जा अथवा आवादी की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा आदि के मामले हैं। जहां तक सीमांकन के मामले हैं, उनमें निजी भूमि (भूमिधरी) का सीमांकन (अनुसूचित जाति एवं पटटा की भूमि को छोड़कर) धारा 41 एल0आर0एक्ट में समयबद्व ढंग से कराया जाय। यदि तहसील में धारा 41 के वाद लम्बित हों तो अभियान चलाकर उनका निस्तारण किया जाये। मैं प्रत्येक तहसील में लम्बित ~~तीन माह के~~ वादों की समीक्षा करूंगा और मैं देखना चाहूँगा कि इससे पूर्व धारा 41 का कोई मामला लम्बित न रहे।

शासकीय भूमि पर कब्जा अथवा पटटा व आवादी पर कब्जा की स्थिति में कार्यवाही का स्तर प्रशासनिक प्रकृति का है, जो पुलिस के सहयोग से ही सम्भव है। अतः गांव में सर्वप्रथम विवाद के मामले चिन्हित कर लिये जायें। इन मामलों से सम्बन्धित भूमि विवाद का रजिस्टर बना लिया जाये और इनका निस्तारण सम्बन्धित उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, क्षेत्राधिकारी के सहयोग से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाये। शासकीय गांवसभा की भूमि पर कब्जा को तत्काल हटाया जाये। इसमें सीमांकन के उपरान्त सुनिश्चित कर लिया जाये कि भूमि गांवसभा अथवा शासकीय है। यदि इस तरह की भूमि पर किसी भी तरह का निर्माण है तो उसे तत्काल हटवा दिया जाये। विशेषकर तालाब, पोखर पर अवैध निर्माण हटाने का अभियान चलाकर 15 दिन में खाली कराये जायें जिससे बरसात में पानी भरकर भविष्य के लिए प्रयोग में लाया जा सके।

भूमि विवाद से सम्बन्धित रजिस्टर प्रत्येक लेखपाल द्वारा आगामी एक सप्ताह में बना लिया जाये। जिसकी एक प्रति उप जिलाधिकारी के पास रखी जाये और एक प्रति लेखपाल स्वंय अपने पास रखेगा। उप जिलाधिकारी व तहसीलदार प्राप्त सूचना के अनुसार संयुक्त कार्यक्रम पुलिस के साथ बनायेंगे और गांव में जाकर समस्या का हल करेंगे।

दिनांक 20–6–2014 तक प्रत्येक लेखपाल से सूची प्राप्त कर ली जाये और सूची के अन्त में लेखपाल से प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाय कि इसके अतिरिक्त उनके क्षेत्र में अन्य कोई भूमि विवाद शेष नहीं है। दिनांक 20–6–2014 के उपरान्त चिन्हित ग्रामों में भूमि विवाद के निराकरण हेतु योजना बनायी जाये, जिसका अमल दिनांक 30–6–2014 तक किया जाये। इसी मध्य गांव के भ्रमण के समय जन सामान्य से पूंछकर यह भी सुनिश्चित किया जाय कि गांव में अपराधिक तत्व स्वतन्त्र रूप से न रहे। जन सामान्य में समाजवादी पेंशन योजना का प्रसार किया जाय और शासन की अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी जन सामान्य को दी जाये।

अतः अपेक्षित है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत कराना सुनिश्चित करें।

11/6/14
(एन0के0एस0 चौहान)
जिलाधिकारी
फर्रूखाबाद।

1– प्रतिलिपि आयुक्त महोदय कानपुर मण्डल कानपुर की सेवा में अवलोकनार्थ।

2– प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ को इस अनुरोध के साथ कि इस पत्र की प्रति समस्त क्षेत्राधिकारियों को प्रेषित करते हुए उप जिलाधिकारियों के साथ भूमि विवाद निपटाने हेतु संयुक्त रूप से भ्रमण करने के निर्देश देने का कष्ट करें।

3– प्रतिलिपि अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0) को नियमित रूप से अनुश्रवण करने हेतु।

(एन0के0एस0 चौहान)
जिलाधिकारी
फर्रूखाबाद।